


राजस्थान सरकार  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : संस्था/चि0अ0/एटी/प.24/2011/ 106

दिनांक:-06/08/2011


—: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन कर जिला स्तर पर कॉर्पोरेशन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु जिला परियोजना समन्वयक को प्रभारी अधिकारी लगाया गया है के क्रम में श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने दिनांक 27/07/11 को आयोजित वर्कशॉप में समस्त जिलों में पूर्णकालिक जिला परियोजना समन्वयक लगाने के निर्देश प्रदान किये हैं। जिला परियोजना समन्वयक को District Drug Warehouse का प्रभारी भी बनाये जाने के फलस्वरूप सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीन पदस्थापित जिला परियोजना समन्वयक, आर0एच0एस0डी0पी0 अपने कार्य के साथ-साथ Nodal Officer, RMSC का कार्य भी संपादित करेंगे। दिनांक 02 अक्टूबर 2011 से निःशुल्क दी जाने वाली औषधियों का जिला परियोजना समन्वयक अलग से रजिस्टर संधारित करेंगे एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आवश्यकता पडने पर जिला परियोजना समन्वयक से अन्य कार्यकर्मों का कार्य भी संपादित करवा सकेंगे।

  
निदेशक(जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजि सचिव, माननीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. निजि सचिव, श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजि सचिव, शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी मुख्यालय।
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
8. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान को मेल करवाकर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. कार्यालय प्रति।

  
निदेशक(जन स्वा.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान जयपुर